संख्या 102/उन्तीस (2)/(24पे.)/06/2001

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 23 जनवरी, 2006

विषय : सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु जनपद उत्तरकाशी को राज्यांश की वर्ष 2005–06 में द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1519/एस–2(X)/2006 दिनांक 13 जनवरी, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में देय राज्यांश की द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित कॉलम–7 के विवरणानुसार रू0 11.96 लाख (रू0 ग्यारह लाख छियानवे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

स्वीकृत लागत				अवमुक्त केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त राज्यांश	अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	लागार्थी का अंश			
1	2	3	4	5	6	7
301.66	202.00	59.83	39.83	60.60	5.98	11.96

2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा तथा स्वीकृत धन का 80 प्रतिशत उपयोग होने एवं केन्द्रांश की अगली किश्त प्राप्त होने के उपरान्त ही आगामी मांग प्रस्तुत की जायेगी।

क्रमश..2

3. उक्त धनराशि निदेशक, पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, उत्तरांचल देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार देहरादून से आहरित कर निदेशक, पी0एम0यू0 के देहरादून स्थित बैंक खाते में जमा की जायेगी।

4. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा। गाड़ियों के अनुरक्षण, पेट्रोल व्यय, टेलीफोन व्यय, अतिरिक्त व्यय की मदों के लिए मानकों को निर्धारित कर उस पर पी0एम0यू0 की वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कार्यालय व्यय की धनराशि अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि का विभिन्न मदों पर व्यय अनुमोदित परियोजना के अनुसार तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जायेगा। कार्यवार धनावंटन एवं व्यय की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मेनुअल फाइनेंन्शियल हैण्डबुक तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी शासनादेश के अनुसार ही धनराशि व्यय की जाय और मितव्ययता बरती जाय।

7. उपरोक्त प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/ उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार से विचलन होगा तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व होगा। सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को दी जाय।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं भारत सरकार को समयबद्व रूप से प्रेषित कर दिया जायेगा।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति आयोजनागत -102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-04-ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः..3

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 131/XXXVII(2)/2006, दिनांक 20 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 102 (1)/उन्तीस (2)/(24पे.)/06/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. डी0पी0एम0यू0, स्वजल परियोजना, उत्तरकाशी।
6. निदेशक, सी0आर0एस0टी0, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. वित्त अनुभाग–2/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सेल।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
11. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव